(24)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — CANCELLED

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — CANCELLED

माननीय न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व अपील कं0 – I/अपील/सिवनी/स्टांप अधि/2018/1896

(517)

श्री अब्दुल मजीद आत्मज श्री अब्दुल रशीद

उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी काजीवार्ड सिवनी

तहसील व जिला सिवनी (म0प्र0) ----- अपीलार्थी

विरूद्ध

1. कलेक्टर आफ स्टाम्प सिवनी,
   जिला सिवनी,
2. श्रीमति माया वर्मा पत्नि श्री ब्रज मोहन वर्मा
   उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी महावीरवार्ड सिवनी,
   तहसील व जिला सिवनी (मप्र0) ------ अनावेदकगण

आखिलेश मालवी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत 4158 25 JAN 2018 अधीक्षक ...जबलपुर संभाग

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 47 ए (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1899,

प्रथम अपील न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय जबलपुर (म0प्र0) जिसका कि राजस्व प्रकरण 168/अपील 2014–15 में पारित आदेश 06.07.2017 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत है।

NOTARY GOVT. OF M. P. INDIA

25 JAN 2018

प्रकरण तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय सिवनी के समक्ष व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 40 ए/14 अब्दुल मजीद खान बनाम श्रीमति माया वर्मा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा अनावेदक कमांक 2 मौजा सिंवनी रैयत प0ह0नं0 77/1 खसरा नं0 37/12 जिसका कि रकबा 0.737 हे0 एवं खसरा कमांक 34/4 रकबा 0.789 हे0 भूमि कय करने के अनुबंध निष्पादन से संदर्भित है एवं यह उल्लेखनीय

49 5/10/18 1:00 PM

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक एक—अपील / सिवनी / भा.स्टा.अधि. / 2018 / 1896

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
5/12/18	आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह अपील कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला सिवनी के प्र.क्र. 50 बी–103/14–15 में पारित आदेश दिनांक 28–1–17 , जिसके विरूद्ध आयुक्त, जबलपुरं संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील होने पर प्र.क्र. **168/14–15** अपील) में पारित आदेश दिनांक **6–7–17** से सुनवाई के अधिकार न होने के आधार पर खारिज की गई है , के क्रम में राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर में प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 मे मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक ३० सन 2017 (भारतीय स्टाम्प ' म०प्र०संशोधन) अधिनियम 2016 में हुये संशोधन अनुसार कलेक्टर आफ स्टाम्प व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील संभागीय पंजीयक को होगी। अपील सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। अपीलांट इस आदेश की प्रमाणित सहित सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। सदस्य	